

## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

### CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर  
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No. CSJMU/..... /R-Camp/05.2015

Dated 10.05.2015..... 20 .....

सेवा में

समस्त निदेशक/ अधिकारी/ विभागाध्यक्ष/ प्रभारी शैक्षणिक संस्थान/ पुस्तकालयाध्यक्ष  
वार्डन महिला एवं पुरुष छात्रावास  
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर

विषय: भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय/ महोदया

कानपुर नगर को 31 मई, 2015 विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम Cirgrate and other Tobacco Act (COTPA) 2003 की धारा-4, 6 ब के 90 प्रतिशत लागू करने के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा तम्बाकू मुक्त नगर घोषित किया जाना है। इस सन्दर्भ में धारा- 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर प्रतिबंध (सार्वजनिक स्थान में सभी स्थान आते हैं जहां सामान्य जनता का आना जाना होता है जैसे- कार्यालय, समा ग्रह, अस्पताल, भवन, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, न्यायालय परिसर, बैंक, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक-परिवहन, दुकानें एवं अन्य खुले स्थान जैसे आडिटोरियम, स्टेडियम, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन इत्यादि) है। यहाँ पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने वाले पर ₹0 200 तक का जुर्माना किया जा सकता है। इन स्थानों के स्वामी/प्रबन्धन/ अधिकृत अधिकारी को प्रति उल्लंघन के अनुपात में जुर्माना किया जा सकता है।

धारा - 5 के अनुसार तम्बाकू उत्पादों- सिगरेट आदि के प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है। इस धारा के प्रथम उल्लंघन पर 2 वर्ष की सजा या ₹0 एक हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। द्वितीय बार उल्लंघन करने पर 5 वर्ष की सजा या ₹0 पाँच हजार तक का जुर्माना हो सकता है।

धारा- 6 के अनुसार अवयस्कों को और शैक्षणिक संस्थान परिसर में तम्बाकू उत्पादों की विक्री पर प्रतिबन्ध है। इस धारा के उल्लंघन पर ₹0 200 तक का जुर्माना हो सकता है।

धारा- 7,8,9 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी के बगैर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। उत्पादक को प्रथम उल्लंघन पर 2 वर्ष की सजा या ₹0 5000 का जुर्माना दूसरी बार उल्लंघन पर 5 वर्ष की सजा या ₹0 10,000 का जुर्माना किया जा सकता है। तम्बाकू पदार्थ का विक्रय/ विपणन करने वाले को प्रथम उल्लंघन पर 1 वर्ष की सजा या ₹0 1000 का जुर्माना तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा या ₹0 3000 का जुर्माना किया जा सकता है।

शैक्षणिक संस्थान के प्रभारी को संस्थान के प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित बोर्ड/ बैनर लगाना आवश्यक है-

1. तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू बेचना अपराध है।
2. धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है।

उल्लंघन करने पर ₹0 200 तक का जुर्माना किया जा सकता है।

आप इस सूचना से अपने संस्थान/ विभाग के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों/ शिक्षकों/ विद्यार्थियों को अवश्य अवगत कराये तथा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा- 4 का अनुपालन सुनिश्चित करें। आपके संस्थान/ विभाग में तम्बाकू पदार्थों के सेवन को रोकना आपका उत्तदायित्व है। तम्बाकू पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों/ विद्यार्थियों पर आप ₹0 200 तक का जुर्माना लगा सकते हैं और जुर्माना जमा कर उसकी रसीद व्यक्ति/ विद्यार्थी को देंगे। जुर्माने की रसीद विश्वविद्यालय में तम्बाकू नियंत्रण के नोडल अधिकारी डा0 प्रवीन कटियार से प्राप्त कर लें। संस्थान के बाहर लगाये जाने वाले बैनर/ बोर्ड सम्पत्ति अधिकारी से प्राप्त कर लें।

इस पत्र के साथ Reporting format for COTPA violation/ action taken की प्रति संलग्न है। इसको प्रतिमाह भरकर साफ्ट कॉपी में प्रत्येक माह की 02 तारीख तक drpraveenkatiyar@gmail.com पर अवश्य भेजें। डा0 प्रवीन कटियार सभी विभागों से प्राप्त रिपोर्ट को प्रति माह जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को भेजेंगे।

(सय्यद वकार हुसैन)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
4. उपकुलसचिव (प्रशा0)।
5. सिरटम मैनेजर, को इस आशय के साथ कि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. डा0 प्रवीन कटियार, नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, विश्वविद्यालय।
7. संपत्ति अधिकारी को बैनर/ बोर्ड के प्रबन्ध हेतु।

(सय्यद वकार हुसैन)  
कुलसचिव

## तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के मुख्य प्रावधान

### तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा

| दंड प्रावधान (जुर्माना, कैद या दोनों)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान प्रतिबंध (सार्वजनिक स्थान में सभी आते जहां सामान्य जनता का जाना होता है जैसे कार्यालय, ग्रह, अस्पताल, भवन, मनोरंजन रेस्टोरेंट, न्यायालय परिसर, बैंक, संस्थान, पुस्तकालय, परिवहन, दुकाने एवं अन्य खुले जैसी आडिटोरियम, स्टेडियम, स्टाप, रेलवे स्टेशन इत्यादि।) | —व्यक्तिगत उल्लंघनकर्ता 200 रु.<br>—स्वामी, प्रबंधन या अधीकृत अधिकारी को प्रति उल्लंघन के अनुपात में जुर्माना                                                                             |
| 5 तम्बाकू उत्पादों सिगरेट आदि निर्यात/अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध                                                                                                                                                                                                                      | प्रथम उल्लंघन 2 वर्ष, 1000 रु.<br>—दूसरी बार उल्लंघन 5 वर्ष, 5000 रु.                                                                                                                     |
| 6 अवयस्कों को और शैक्षणिक परिसर में तम्बाकू उत्पादों की पर प्रतिबंध                                                                                                                                                                                                                        | 200/- रुपये तक।                                                                                                                                                                           |
| 7, 8, 9, निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध                                                                                                                                                                                                  | —उत्पादक :<br>प्रथम उल्लंघन 2 वर्ष/रु. 5000<br>—दूसरी बार उल्लंघन :<br>5 वर्ष/रु. 10.0000 /-<br>—विक्रय/विपणन :<br>प्रथम उल्लंघन : 1 वर्ष/1000 रु.<br>दूसरी बार उल्लंघन : 2 वर्ष/3000 रु. |

### शैक्षणिक संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पादों के विक्री केन्द्रों पर लगाए जाने वाले बोर्ड का प्रारूप

|                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| इस तम्बाकू उत्पाद के सौ गज के दायरे में सिगरेट या अन्य उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। | 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की विक्री एक दण्डनीय अपराध है। |
| शैक्षणिक संस्थान में लगाये जाने वाले बोर्ड का प्रारूप                                                                                           | तम्बाकू उत्पादों के विक्री केन्द्रों पर लगाये जाने वाले बोर्ड का प्रारूप         |

नोट : तम्बाकू मुक्त परिसर - तम्बाकू सेवन निषेध अधिनियम - 2003 (2003) की धारा-4 के अधीन इस परिसर में धूम्रपान करना अपराध है। परिसर सिगरेट, पान, मसाला, गुदखा आदि का सेवन करते हुए अंतरांग से निकलने वाले धुआँ के कारण धूम्रपान के समान माना जाएगा। इस धारा-21 के अधीन रु. 200/- तक का आर्थिक दण्ड देना होगा। आह्वान से - व्यवस्थापिका/कार्यालयाध्यक्ष

## अपने संस्थान/कार्यालय/विभाग/परिसर को धूम्रपान मुक्त करें

- परिसर में प्रमुख स्थानों पर जहां आसानी से स्टाफ एवं आगंतुक दोनों पढ़ सकें वहां निर्धारित प्रारूप का 60सेमी X 30 सेमी का धूम्रपान निषेध सम्बन्धी बोर्ड लगा हो। तम्बाकू नियंत्रण कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन की सूचना देने के लिये संस्थान में शिकायत अधिकारी का नाम उल्लेखित किया जाए :-



**धूम्रपान निषेध क्षेत्र**  
**यहाँ धूम्रपान करना अपराध है।**

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_  
(नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण)  
स्थान/संस्थान का नाम \_\_\_\_\_  
फोन नं. \_\_\_\_\_

- कार्यालय में निर्धारित प्रारूप की रसीद बुक रखें ताकि जुर्माना किया जा सके। चालान द्वारा प्राप्त धनराशि ट्रेजरी के निम्न लिखित लेखा शीर्षकों में करायी जा सकती है -

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 0210 | चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें                |
| 04   | लोक स्वास्थ्य                                 |
| 800  | अन्य प्राप्तियाँ                              |
| 04   | स्वास्थ्य निदेशक के अन्तर्गत अन्य प्राप्तियाँ |

- यदि कोई धूम्रपान करते हुए पाया जाए तो उसे 200 रु. तक का अर्थदण्ड करें।
- सभी कर्मचारियों को आदेश जारी कर सूचित करें कि कार्यालय में धूम्रपान न करें।
- परिसर में धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली कोई भी सामग्री न रखें जैसे ऐश ट्रे, माचिस आदि।

**सार्वजनिक स्थान/कार्यालय/परिसर में कोई धूम्रपान ना करें यह सुनिश्चित करें।**

**जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ**  
**यू.एच.एम. चिकित्सालय कानपुर नगर**  
Email : dtcuhmkanpur@gmail.com  
राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्प लाईन 1800-110-456

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
कानपुर नगर

जिलाधिकारी  
कानपुर नगर

## Annexure

## Reporting format for COTPA violation/action taken

Date: \_\_\_\_\_

Name and Address of the Department and Organization \_\_\_\_\_

Reporting Period from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

## Total No Of Challans and fines Collected

| S No | Sec 4                     |                                    |                                         | Sec 6(a)                  |                                    |                                         | Sec 6(b)                  |                                    |                                         | Sec 5                     |                                    |                                         | Sec-7                     |                                    |                                         | Cumulative |
|------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|      | No Of<br>Challans<br>Done | No of<br>cases<br>sent to<br>Court | Amount of<br>Fines<br>Collected<br>(RS) | No Of<br>Challans<br>Done | No of<br>cases<br>sent to<br>Court | Amount of<br>Fines<br>Collected<br>(RS) | No Of<br>Challans<br>Done | No of<br>cases<br>sent to<br>Court | Amount of<br>Fines<br>Collected<br>(RS) | No Of<br>Challans<br>Done | No of<br>cases<br>sent to<br>Court | Amount of<br>Fines<br>Collected<br>(RS) | No Of<br>Challans<br>Done | No of<br>cases<br>sent to<br>Court | Amount of<br>Fines<br>Collected<br>(RS) |            |
| 1    |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |            |
| 2    |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |            |
| 3    |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |                           |                                    |                                         |            |

Signature of Nodal/Reporting Officer \_\_\_\_\_

Please Note :This report must be sent District Tobacco Control Cell,UHM Hospital Kanpur Nagar(DTCC)on or before 7th (day) of every month.If no challans and no fines are collected ,it may be reported as nil,but timely reporting is must.

his report can be sent through email [dtcuhmkanpur@gmail.com](mailto:dtcuhmkanpur@gmail.com)